न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–126 / 2018–19 / 20–21

जितेन्द्र तुरी बनाम राज्य

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
19/01/23	आवेदक जितेन्द्र तुरी, पिता–कोमल तुरी, साकिन–माईल टोला, तेलीयाडीह के खाता संख्या–34, प्लॉट संख्या–365, कुल रकवा–2.50 एकड़ भूमि के संदर्भ में रसीद निर्गत करने से संबंधित आदेश पारित करने हेतु आवेदन अधिवक्ता के माध्यम से दायर किया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकार को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षकार के द्वारा लिखित कथन समर्पित है। **अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया है कि–**''यह है कि आवेदकगण ग्राम–माईल टोला तेलियाडीह के निवासी है। मजदुरी एवं कृषि कार्य कर के अपना जीविकोपार्जन करते है। यह है कि मौजा–माईल, अंचल–ईटखोरी के खाता संख्या–34, प्लॉट संख्या–365, रकवा–2.50 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में **गैरमजरूआ खास** दर्ज है। यह है कि बिगन तुरी एक भूमिहीन व्यक्ति थे उन्होनें पूर्व जमीन्दार से अनुरोध कर के 19 रू0 का सलामी देकर हुकुमनामा एवं फर्द अमीन प्रतिवेदन के माध्यम से वर्ष 1938 ई0 में भूमि प्राप्त किये। जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त किये। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद बिगन तुरी के द्वारा अंचल कार्यालय में जमाबंदी कायम करवा कर सरकारी रसीद भी प्राप्त	

1 Misc

किये है। गरीबी के कारण लगातार बिहार/झारखण्ड सरकार को लगान नहीं दे सके हैं। यह है कि बिगन तुरी के तीन पुत्र है छठु तुरी, कोमल तुरी, कमल तुरी, जो अपने पिता की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि पर दखलकार हुए है। यह है कि बिगन तुरी, अपने पुत्र बुटा तुरी को छोड़कर मृत हुए तथा बुटा तुरी भी अपने दो पुत्र उमेश तुरी एवं कारू तुरी को छोड़कर मृत हुए है। इसी तरह कमल तुरी अपने पुत्र भोला तुरी एवं जितेन्द्र तुरी को छोड़कर मृत हुए है। बिगन तुरी के सभी वंशज भूमि उत्तराधिकारी के रूप में दखलकार हुए हैं। यह है कि आवेदकगण उक्त भूमि बकाया लगान देकर सरकारी रसीद निर्गत कराने के लिए तैयार है। लेकिन इनका जमाबंदी ऑनलाईन इन्द्राज नहीं है। यह है कि संबंधित कर्मचारी के द्वारा सीधा लगान लेने से इन्कार कर दिया गया और यह कहा गया कि बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से सरकारी रसीद निर्गत नहीं किया जा सकता है। अंचल अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया परन्तु इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। यह है कि आवेदकगण उक्त भूमि का लगभग 80 वर्षो से दखलकार रैयत है।'' प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने आवेदकगण के नाम से रसीद निर्गत करने हेतु आदेश पारित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा पत्रांक–57, दिनांक–22.01.2019 के माध्यम से आवेदक के आवेदन के आलोक में जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। प्रतिवेदन में अंकित है कि–''आवेदित भूमि **गैरमजरूआ खास खाते की भूमि किस्म जंगल–झाड़ी दर्ज** है जिसका बंदोबस्ती नहीं की जा सकती है।'' राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा अंकित किया गया है कि–''प्रतिवेदित भूमि, ग्राम–माईल, खाता संख्या–34, प्लॉट संख्या–365, रकवा–2.50 एकड़ कुल रकवा–50.47 एकड़ भूमि

गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। किस्म जंगल–झाड़ी होने की वजह से वर्तमान में उक्त भूमि का बंदोबस्ती नहीं की जा सकती है।''

अभिलेख में संलग्न कागजातों, अंचल अधिकारी, चतरा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होता है :–

⟹ गैरमजरूआ खास किस्म जंगल–झाड़ी भूमि का मामला।

⟹ **गैरमजरूआ खास किस्म जंगल–झाड़ी भूमि का मामला** :– अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा पत्रांक–57, दिनांक–22.01.2019 के माध्यम से आवेदक के आवेदन के आलोक में जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। प्रतिवेदन में अंकित है कि–''आवेदित भूमि **गैरमजरूआ खास खाते की भूमि किस्म जंगल–झाड़ी दर्ज** है जिसका बंदोबस्ती नहीं की जा सकती है।'' राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा अंकित किया गया है कि–''प्रतिवेदित भूमि, ग्राम–माईल, खाता संख्या–34, प्लॉट संख्या–365, रकवा–2.50 एकड़ कुल रकवा–50.47 एकड़ भूमि **गैरमजरूआ खास खाते** की भूमि है। किस्म जंगल–झाड़ी होने की वजह से वर्तमान में उक्त भूमि का बंदोबस्ती नहीं की जा सकती है।''

विक्रय पत्र /पट्टा/हुकुमनामा से संबंधित जमीन के लिए उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण एवं सरलीकरण हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची से दिशा–निर्देश प्राप्त है। सरकार के सचिव का पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के पारा 9 के कंडिका (II) एवं (VII) में स्पष्ट निदेश दिया गया है।

पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 पारा 9 के कंडिका (II) के अनुसार–"विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 द्वारा दिनांक–01.

01.1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑनलाईन दाखिल–खारिज एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की कार्रवाई अंतिम रूप से संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा की जायेगी। अंचल अधिकारी अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी हेतु चिन्हित भूमि का रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेख में ही सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत आदेश पारित करेंगे एवं तदनुरूप ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करेंगे। इस निदेश के बाद अभिलेख को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इस हद तक विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 को संशोधित समझा जाय। इस कार्रवाई में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी इसके लिए पूर्णतः दोषी होंगे।"

पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के पारा 9 के कंडिका (vii) में अंकित है कि– " खतियान में जंगल, जंगल–झाड़ी इंद्राज के मामलों में T.N Godavarman Thirmulpad Vs Union of India 1995 " में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–8–78/1996–FC (pt) dated- 10th March, 2015 के आलोक में इस प्रकार की जमाबंदियों की समीक्षा की जाय एवं तदोपरांत बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 (h) के अंतर्गत जमाबंदी रद्द करने हेतु प्रारंभ की गई कार्यवाही से संबंधित अभिलेख में संतुष्ट होकर आदेश पारित किया जाय।"

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में विधिसम्मत्/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही अग्रेतर कार्रवाई करना

है। अतः अंचल अधिकारी, चतरा को आदेश दिया जाता है कि संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए, भूमि से संबंधित कागजातों जैसे (खतियान, रजिस्टर II एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न–भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए नियमसंगत/विधिसम्मत् अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः अंचल अधिकारी, चतरा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

19/01/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

19/01/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2023.08.24 22:39:42 -07:00
Location: 2409:40e4:6e:dc94:a228:730f:89ad:22f